न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 67/2018 (223 आरटीए) वासुदेव बनाम डॉ हरीराम

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00206)

वासुदेव पुत्र हमीरामराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

डॉ. हमीराराम पुत्र चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी शास्त्री बस्ती मकान नं. 27, सिविल लाइंस के पास, श्रीगंगानगर जिला गंगानगर राजस्थान।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर फलोदी दिनांक 01.06.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 204/2012

उपस्थित :

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 204/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के समक्ष धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी/अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 204/2012 पेश किया कि ग्राम छीला के खसरा नं. 10 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि वादी/अपीलांट के दादा चुन्नीलाल की कृषि भूमि थी इस कारण वादी का जन्म से अधिकार है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट वादी का पिता है। लेकिन वह इस पैतृक पुस्तैनी भूमि को आगे बेचान करना चाहता है। इस कारण वादी को उक्त पैतृक भूमि में अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि वे वादी की पुश्तैनी भूमि से बेदखल नहीं किया जावे। वादी के उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया। प्रतिवादी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहा इस कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तब प्रतिवादी द्वारा एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य करवाये गये तथा पत्रावली बकाया वादी साक्ष्य में चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप छीला में रखकर वादी का वाद खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलांट को उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में रखने बाबत कोई नोटिस ही जारी नहीं किया तथा गलत रूप से यह आदेशिका अंकित कर दी कि वादी उपस्थित पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। राजस्व लोक अदालत कैंप छीला में रखने बाबत अपीलांट को कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ था। अपीलांट को यह जानकारी नहीं थी कि उक्त पत्रावली कैंप में रखी हुई है तथा वह निस्तारित हो जावेगी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुने पारित की गई निर्णय व डिक्री है जो केवल इसी आधार पर निरस्त करने के काबिल है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई प्रतिवादी के जबाबदावे अपने मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय में यह तथ्य अंकित कर दिये कि विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि न होकर स्व अर्जित भूमि है जबकि वास्तव में उक्त भूमि वादी के दादा चुन्नीलाल की पैतृक पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा जबाबदावा नहीं था कि उक्त भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि है। उक्त पत्रावली में वादी स्वयं की साक्ष्य हो चुकी थी तथा पत्रावली वादी के बकाया साक्ष्य हेतु चल रही थी जिसको बिना किसी आधार के बिना किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र के पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैंप में रखकर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो कानूनन नहीं किया जा सकता है। यह कि राजस्व लोक अदालत कैंप में केवल आपसी समझाइस से राजीनामा के जरिये ही किसी मामले का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। मूलवाद की पत्रावली को बिना पक्षकारों के

राजीनामे मामला का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान वाद घोषणा खातेदारी का वाद था जिसमें वादी की साक्ष्य हो चुकी थी इसमें कोई जबाबदावा पेश ही नहीं था वादी के वाद पत्र एवं साक्ष्य से साबित था कि उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने के काबिल था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। राजस्व लोक अदालत कैंप संपूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2017 के कैंपों में गलत निर्णय होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा यह परिपत्र जारी किया गया था कि आंकड़े बढ़ाने की होड़ में पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में किसी मामले का अंतिम निस्तारण नहीं किया जावे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पत्रावली को बिना अपीलांट को सूचना दिये तथा बिना उसे सुने उसके नियमित वाद को खारिज कर दिया जो वादी के साथ में घोर अन्याय है। अतः अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट की अन्य साक्ष्य पत्रावली पर लेकर बहस सुनकर मामले का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

5 अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 इस प्रकरण में अपीलांट वादी का यह कथन है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है व इस आधार पर वादी ने खातेदारी घोषणा का वाद अपने पिता के विरुद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि रेस्पो./प्रतिवादी का सम्मन तामील हो चुका था उसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही लाई जा चुकी है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की तरफ एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 7 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिस पर उभयपक्षकारान को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 खारिज कर दिया। तत्पश्चात पत्रावली वादी/अपीलांट के बकाया साक्ष्य में चल रही थी। तथा पत्रावली पर सुनवाई की तारीख पेशी दिनांक 19.09.2017 थी उसके बाद कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में बिना किसी सूचना के रखना अपीलांट ने बताया है। राजस्व लोक अदालत में पत्रावली को रखने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी अपीलांट को कोई नोटिस जारी होना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य बंद किये बिना एवं वादी को सुने बिना राजस्व लोक अदालत में वाद का निस्तारण मैरिट करते हुये खारिज किया जाना पाया जाता है।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में इस बात पर जोर दिया कि

राजस्व लोक अदालत में बिना सूचना, बिना सहमति, बिना राजीनामा के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपने इस तर्क की पुष्ठि में यह भी कथन किया कि पिछले अभियान में अधिक आंकड़े दिखाने की दृष्टि से पीठासीन अधिकारियों ने पक्षकारों में बिना सहमति के भी राजस्व लोक अदालत में निर्णय कर दिये जो लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं थे जिससे पक्षकारान को अनावश्यक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के राजस्व अभियान से पूर्व यह परिपत्र जारी किया गया था कि आंकड़े बढ़ाने की होड़ में पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में किसी मामले का अंतिम निस्तारण नहीं किया जावे। इस प्रकरण में अपीलांट को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई के राजस्व लोक अदालत में मैरिट पर निर्णय पारित किया जो राज्य सरकार के उक्त परिपत्र एवं लोक अदालत की भावना एवं विहित न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। अतः इस न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाई जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वादी/अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि अनुसार निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

8 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी/अपीलांट की बकाया साक्ष्य ली जाकर एवं वादी/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की जावे।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर